

**FOOD SAFETY APPELLATE TRIBUNAL  
JAIPUR, RAJASTHAN**

**APPEAL NO.FA/0055/2017**

Basant Kumar S/o Mr. Prahalad Ray, Agarwal Pratap Colony,  
Bhinmaal, District Jalore

-APPELLANT

VERSUS

1. State of Rajasthan, through Food Safety Commissioner,  
Rajasthan, Jaipur
2. Dilip Singh, Food Safety Officer

-RESPONDENTS

**APPEAL NO.FA/0054/2017**

Basant Kumar S/o Mr. Prahalad Ray, Agarwal Pratap Colony,  
Bhinmaal, District Jalore

-APPELLANT

VERSUS

1. State of Rajasthan, through Food Safety Commissioner,  
Rajasthan, Jaipur
2. Dilip Singh, Food Safety Officer

-RESPONDENTS

**APPEAL NO.FA/0056/2017**

Basant Kumar S/o Mr. Prahalad Ray, Agarwal Pratap Colony,  
Bhinmaal, District Jalore

-APPELLANT

VERSUS

1. State of Rajasthan, through Food Safety Commissioner,  
Rajasthan, Jaipur
2. Dilip Singh, Food Safety Officer

-RESPONDENTS

**APPEAL NO.FA/0057/2017**

Basant Kumar S/o Mr. Prahalad Ray, Agarwal Pratap Colony,  
Bhinmaal, District Jalore

-APPELLANT

VERSUS

1. State of Rajasthan, through Food Safety Commissioner,  
Rajasthan, Jaipur
2. Dilip Singh, Food Safety Officer

-RESPONDENTS

**APPEAL NO.FA/0058/2017**

Basant Kumar S/o Mr. Prahalad Ray, Agarwal Pratap Colony,  
Bhinmaal, District Jalore

-APPELLANT

VERSUS

1. State of Rajasthan, through Food Safety Commissioner,  
Rajasthan, Jaipur
2. Dilip Singh, Food Safety Officer

-RESPONDENTS

Present:-

Shri Mayank Gupta, advocate for appellant

Shri V.D. Gathala, advocate for respondents

:: आदेश ::

दिनांक 13.09.2017

1. उपरोक्त सभी अपील न्याय निर्णायक अधिकारी जालौर के आदेश दिनांक 30.06.2016 के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है।
2. आलौच्य निर्णय के अनुच्छेद संख्या 06 में यह उल्लेखित किया गया है कि "अतः प्रकरण लोक अदालत की बैंच के समक्ष रखा जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गई।" निर्णय किया गया।
3. खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम के तहत ऐसे प्रकरण लोक अदालत के माध्यम से निर्णित नहीं किए जा सकते। इससे विद्वान राजकीय अधिवक्ता भी सहमत है।
4. अतः अपीलें स्वीकार की जाकर आलौच्य आदेश दिनांक 30.06.2016 प्रकरण संख्या 20/2015, 21/2015, 19/2015, 22/2015 एवं 18/2015 क्रमशः में पारित किये गये निर्णय अपास्त किये जाकर प्रकरण पुनः विधि अनुसार सुनवाई करने हेतु न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जालौर को प्रति-प्रेषित किया जाता है जो विधि अनुसार पुनः सुनवाई कर आदेश पारित करेंगे।
5. पक्षकारान न्याय निर्णायक अधिकारी के समक्ष दिनांक 05.10.2017 को उपस्थित रहे, उन्हें पुनः अलग से सुनवाई हेतु कोई नोटिस जारी नहीं किया जावे।

6. यदि कोई भी पक्षकार नियत तिथि को उपस्थित नहीं होता है तो न्याय निर्णायक अधिकारी विधि अनुसार आगे कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र है।
7. सचिव, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर को लिखा जावे कि इस संबंध में समस्त जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को स्पष्ट निर्देश दिए जावे कि इस तरह के प्रकरण को लोक अदालत के माध्यम से नहीं निपटाया जावे।
8. अपीलें इसप्रकार निस्तारित की जाती है।

(उमेश कुमार शर्मा)  
पीठासीन अधिकारी  
खाद्य सुरक्षा अपीलीय अधिकरण  
जयपुर

आदेश आज दिनांक 13.09.2017 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(उमेश कुमार शर्मा)  
पीठासीन अधिकारी  
खाद्य सुरक्षा अपीलीय अधिकरण  
जयपुर